भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *29

उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

इंटरनेट शटडाउन

***29. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान स्वरूप में इंटरनेट शटडाउन से इंटरनेट पर सभी प्रकार की सूचनाओं और सेवाओं की सुलभता निषिद्ध हो जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इंटरनेट पर समग्र रूप से प्रतिबंध लगाने के बजाय कतिपय सेवाओं के उपयोग को चुनिंदा रूप से सीमित करने के लिए नियम बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आम जनता को कम-से-कम असुविधा हो और गलत सूचना को रोकने जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"इंटरनेट शटडाउन" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 24 जुलाई, 2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *29 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) किसी भी लोक आपात की स्थिति या लोक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत इंटरनेट सेवा के अस्थायी निलंबन के आदेश जारी करने का अधिकार है।

किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन में केवल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, और इंटरनेट सेवाओं की निलंबन अवधि के दौरान अन्य संचार सेवाएं जैसे वॉयस कॉलिंग और शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) उपलब्ध रहती है जिसके माध्यम से क्षेत्र के लोग संवाद कर सकते हैं और आपातकालीन संचार सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) एवं (ग) जी, नहीं।

******